मुकदमा नम्बर 13/2017
राजेन्द्र बनाम गेनाराम वगैरा
निर्णय दिनांक 03.03.2025

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड़ अधिकारी) सांचौर

पीठासीन अधिकारी – प्रमोदकुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 14/2024

प्रार्थीगण — **बनाम** — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण:

1. राजेन्द्र विश्नोई पुत्र बाबूलाल जाति विश्नोई, निवासी विष्णु नगर, तहसील सांचोर

अप्रार्थीगण:

1. गेनाराम पुत्र अमलख।
2. भारमल पुत्र गेनाराम।
3. बाबूलाल पुत्र गेनाराम जाति विश्नोई निवारी विष्णुनगर तहसील सांचोर।
4. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर।
5. उपपंजियंक सांचौर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट</u>

उपस्थित :–

1– प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री गोरधनराम विश्नोई।

2– अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील श्री राजेश भादु।

–:निर्णयः–

दिनांकः– 03.03.2025

1. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसके प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यगण है तथा स्व.अमलखजी के पुत्र/पौत्र/परपौत्र इत्यादि है, जो हिन्दू विधि से शासित होते है। स्वर्गीय अमलखजी के निवर्सियती फौत होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में विहित अनुसूची के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिशान है। स्वर्गीय अमलख जी के निर्वसीयती फौत होने पर स्वर्गीय अमलखजी की सम्पूर्ण आराजी पर हम सभी वारिशानो का उक्त सम्पूर्ण पुश्तैनी आराजी में हमारे नोशनल शैयर के अनुसार जन्म से ही हक हकूक के अधिकार निहित हो गये है। वांके सरहद मौजा विष्णु नगर पटवार [illegible] 35 के खेत खसरा नम्बर 1406/359 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 360 [illegible]बा 0.[illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.02 हैक्टर, जुमले रकबा 0.29 [illegible] राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में गेनाराम पुत्र अमलख के नाम से दर्जशुदा आई हुई है। जो पुराने खसरा नम्बर 195 [illegible]5 बिघा 8 बिस्वा से नव सृजित है। उपरोक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की आराजी वक्त प्रथम सेटलमेंट के समय अमलख वल्द हमीरा कौम विश्नोई ढाका के नाम की राजस्व रेकर्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.28 15:38:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

दर्जसुदा एवं कब्जा काश्त की खातेदारी की आयी हुई थी। स्वीर्गीय अमलख जी के निर्वसीयती फौत होने पर स्वीर्गीय अमलख जी की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पति अमलखजी के फौत होने के साथ ही पुश्तैनी एवं पैतृक होने से हम सभी वारिशानों का उक्त सम्पूर्ण सम्पति एवं आराजी में हमारे नोशनल शैयर के अनुसार हमारे जन्म से ही हक हकूक के अधिकार निहित हो गये है। जो कि वर्तमान जमाबंदी, जमाबंदी संवत 2073 से 2076 नक्शा ट्रेस, प्रथम मिसल बंदोबस्त, द्वितीय मिसल बंदोबस्त, मिलान क्षेत्रफल एवं आधार कार्ड की डिटैल से उक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की आराजी पुश्तैनी एवं पैतृक होना प्रमाणित है। उक्त आराजी को आगे वादपत्र में वादग्रस्थ पुश्तैनी आराजी के नाम से उल्लेखित किया जायेगा। मौजा विष्णुनगर पटवार हल्का बावरला में स्थित उपरोक्त खसरा नम्बरान की वादग्रस्त पुश्तैनी आराजी में से अप्रार्थी संख्या 1 गेनाराम जी ने विधि विरूद्ध रूप से हमारी हक हकूक एवं पुश्तैनी आराजी को राजस्व रेकर्ड में अपने नाम से दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर आज से 10 रोज पूर्व मौके पर आकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने किसी अजनवी बदमाश प्रवृति के व्यक्ति को आराजी को बताकर आगे से आगे बैचान करने की एलानिया धमकिया दी, जबकि उक्त आराजी मुझ प्रार्थीएवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के संयुक्त कब्जा काश्त की पुश्तैनी एवं पैतृक आराजी आयी हुई होने से उसमे मुझ प्रार्थीका अपने नोशनल शेयर के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी में प्रार्थीका हिस्सा पुश्तैनी एवं पैतृक रूप से जन्म से ही हक हकूक का अधिकार का प्रत्येक खसरे के प्रत्येक कण–कण में आया हुआ होने से एवं उक्त आराजी संयुक्त कब्जा काश्त की आयी होने से अप्रार्थी संख्या 1 को आगे से आगे बैचान करने का या किसी अन्य को हस्तान्तरण करने, रहन करने, गिरवी, बख्शीश, दान, हक तर्क करने का एवं मौके पर कच्चा या पक्का निर्माण कार्य करने या किसी मजदूर, ठेकेदार, एजेन्ट से करवाने का कोई विधि सम्मत अधिकार नहीं होने से दावा हाजा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किये जाने हेतु श्रीमान न्यायालय के समक्ष मजबूत आधारो पर पेश किया जा चुका है। अप्रार्थीगण संख्या 1 किसी तीसरे व्यक्ति को उक्त पुश्तैनी आराजी को बैचान करने पर तुला हुआ है जिस कारण प्रार्थी के हक हकूक के पुश्तैनी अराजी के सारे अधिकार खतरे में पड गये हैं। जिस कारण प्रार्थी के हक हकूक के पुश्तैनी आराजी मे अपने अधिकारो के सुरक्षार्थ अप्रार्थीगणों को अस्थई निषेधज्ञा से पाबंध किया जाना न्याय हित मे अति आवश्यक हैं। उक्त मामला में अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए उनके तीन आधारभूत स्तम्भ प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दुओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है। जिस कारण प्रार्थी के हक हकूक के पुश्तैनी अराजी के अधिकार खतरे मे पड गये हैं। यदि उक्त आराजी को अप्रार्थीगण बैचान करने में यदि सफल हो जाता है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होगी, जिसकी भरपाई रूपयों [illegible] यों में नहीं आंकी जा सकती है। इस प्रकार अपूरणीय क्षति का [illegible] पक्ष में है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों आधार स्तम्भ प्रार्थी [illegible] में है। जिस कारण प्रार्थी के हिस्से की आरजी के सुरक्षार्थ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी क[illegible] प्रार्थीगण को पाबंद किया जाना न्याय हित मे अति आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय अदालत से निवेदन है कि इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगणों के विरूद्ध जारी फरमावे की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.28 15:58:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

ता फैसला मूल वाद के निस्तारण तक वांके सरहद मौजा विष्णु नगर पटवार हल्का बावरला के खेत खाता संख्या 35 के खेत खसरा नम्बर 1406/359 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.23 हैक्टर, जुमले रकबा 0.27 हेक्टेयर मे से प्रार्थी के कब्जा काश्त मे अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे तथा उक्त खसरा नम्बरान की आराजी को अप्रार्थीगण किसी तीसरे पक्ष को बैचान, रहन, हस्तान्तरण नही करे तथा न ही किसी अन्य से करावे एवं न ही उक्त वादग्रस्त पुश्तैनी आराजी मे किसी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का नव निर्माण कार्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति, मजदुर, ठेकेदार एवं एजेन्ट से करावें एवं प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजी मे से न तो अप्रार्थीगण स्वयं न ही किसी अन्य द्वारा बेदखल करें। मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थिाई निषेधज्ञा से पाबंध फरमावें।

2. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से गेनाराम द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र का पद सं. 1 गलत है, अप्रार्थी अस्वीकार करता है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 का संयुक्त हिन्दु परिवार होने के तथ्य गलत है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के परिवार अलग अलग हैं। पद में बताई अमलखजी की वंशावली में सभी वारिसान एवं विधिक उतराधिकारीगण को शामील नहीं बताया जाकर गलत पेश किया है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार हैं जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थी की आयु 83 वर्ष हो चुकी है। अप्रार्थी को आंखो से कम दिखाई देता है। उसकी कृषि कार्य करने की क्षमता नहीं रहने से अपने दोनों पुत्रों के मध्य वादग्रस्त भूमि का मौका पर बहामी विभाजन कर अलग अलग कब्जा सुपुर्द किया हुआ है। बहामी विभाजन में पुत्र बाबुलाल को वादग्रस्त भूमि खेड़ा एवं वाडिया खेत में से 80 प्रतिशत भाग विभाजन में सुपुर्द कर रखा है। जबकि पुत्र भारमलराम के हिस्से में वादग्रस्त भूमि खेड़ा व वाडिया खेत की 20 प्रतिशत भूमि विभाजन में सुपुर्द कर रखी है। प्रार्थी एवं उसके पिता बाबुलाल के बहामी विभाजन से हिस्से में आई भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ने अपना आवासीय मकान एवं बागवानी लगा रखी है, और अलग कास्त करता है। अप्रार्थी का छोटा पुत्र भारमलराम अप्रार्थी के साथ रहता है व अप्रार्थी के वृद्धावस्था में देखरेख करता है। प्रार्थी आदतन शराबी है। अप्रार्थी भुतपूर्व राजकीय कर्मचारी पेंशनर भोगी है। प्रार्थी से अप्रार्थी को मारपीट एवं जान का डर होने के कारण अपने छोटे पुत्र के साथ रहता है। अप्रार्थी को आंखो से दिखाई नहीं देने से वाद एवं कानूनी कार्यवाहीयों में न्यायालय में उपस्थित होने में लाचार है, इसी वजह से प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 के हिस्से की भूमि गलत तरीके हडप करने की बदयान्ती से गलत एवं मिथ्या वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि प्रार्थी व [illegible] भूमि से अधिक भूमि मौका पर बहामी विभाजन से दे रखी है। जिस पर [illegible] व [illegible] संख्या 3 का अलग अलग कब्जा कास्त हैं प्रार्थी अपने पित[illegible] मिलने वाले अंश में से अपना हिस्सा प्राप्त करने का [illegible] प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है जवाब इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि [illegible] के नाम दर्ज होने के तथ्य सही है. परन्तु मौका पर बहामी विभाजन से अप्रार्थी ने अपने दोनों पुत्रो मे भूमि अलग अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.28 15:58:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)
Scanned with OKEN Scanner

विभाजीत कर मौका पर अलग अलग कब्जा सुपुर्द कर रखा है। प्रार्थी अपने पिता अप्रार्थी संख्या 3 बाबुलाल के हिस्से में आने वाली काश्त भूमि में से अपना हिस्सा अलग करवाये उसमें अप्रार्थी को काई ऐतराज नहीं है। परन्तु प्रार्थी को सह हिस्सेदारी की काश्त भूमि में अन्य सह हिस्सेदार को किसी प्रकार से कब्जा काश्त में दखल अंदाजी करने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं है। प्रार्थी व उसके पिता का मौका पर बहामी विभाजन के माफिक पहले से ही अलग मकान बागवानी एवं कृषि कार्य हैं। अप्रार्थी अपने स्वयं के बनाये पुराने आवासीय मकान की मरम्त कार्य शुरू किया, उसे जानबुझकर बदयान्ती से गलत एवं गैर कानूनी तरीके से न्यायालय के जरिये रोकाने के लिये झुठा वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि अप्रार्थी अपने बड़े पुत्र बाबुलाल को पहले से ही नोश्नल शेयर से अधिक हिस्सा की भूमि मौका पर बहामी विभाजन में दे रखी है। प्रार्थी ने वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र वृद्ध एवं असाहय अप्रार्थी के विरूद्ध महज बेवजह हैरान व परेशान की नियत से पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार हैं जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी विक्रय करने हेतु किसी भी अजनबी व्यक्ति को मौक पर बुलाकर नहीं बताई और न ही वादग्रस्त आराजी विक्रय करने पर आमादा है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के पद में सरासर गलत तथ्य अंकित करवाये है। अप्रार्थी ने दिनांक 8. 03.2024 को किसी भी व्यक्ति के साथ वादग्रस्त भूमि विक्रय हेतु देखाकर किसी को भी भूमि विक्रय करने एवं बेदखल करने की कोई धमकी नही दी। वादग्रस्त भूमि संयुक्त कब्जा कास्त की नहीं है, बल्कि केवल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है। मौका पर अलग अलग कब्जा कास्त है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण से बेदखल किया जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई स्थाई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का जायज एवं कानूनन हकदार नहीं है। प्रार्थी को किसी प्रकार की हानी और क्षति होने का भी प्रश्न नहीं है। प्रार्थी ने महज अप्रार्थी के पुराने आवासीय मकान के मरम्मत को रोकने एवं हैरान व परेशान करने की गरज से सरासर गलत एवं मिथ्या वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज योग्य है।अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि खसरा संख्या 1406/359 रकबा 0.04 हैक्टेयर व खसरा संख्या 360 रकबा 0.23 हैक्टेयर जुमले रकबा 0.27 हैक्टेयर के बाबत् गलत पेश किये प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज किया जाने के आदेश फरमायें।

3. प्रार्थीगण संख्या 02 से 05 नोटिस तामिली के उपरान्त भी अनुपरिथत रहे। अतः अप्रार्थीगण 02 से 05 के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुन[illegible]

5. प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि [illegible] पुश्तैनी आराजी है। जिसमें प्रार्थी का जन्मसिद्व हक–हकूक व अधिकार [illegible] अप्रार्थी संख्या 01 गैनाराम विधि विरूद्ध रूप से प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि [illegible] बैचान करने तथा प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.28 15:58:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

उसके हिस्से व कब्जे काश्त भी भूमि से बेदखल करने पर तुला हुआ है। जिसे मूल वाद के निरस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे।

6. अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज होने के तथ्य सही है, परन्तु मौका पर बहामी विभाजन से अप्रार्थी ने अपने दोनो पुत्रो मे अलग–अलग विभाजित कर मौका पर अलग–अलग कब्जा सुपुर्द कर रखा है। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ वदग्रस्त भूमि विक्रय हेतु दिखाकर किसी को भी भूमि बैचान या प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी नही दी है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मनगढ़त, सारहीन होने से काबिल खारिज है।

7. मैने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा उसको अपनी पुश्तैनी आराजी से बेदखल करने तथा उक्त वादग्रस्त आराजी को बैचान करने का कथन किया। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा कोई प्रमाणिक दस्तावेज या साक्ष्य सबूत पेश नही किया है। कि अप्रार्थी द्वारा उसको जबरन कब्जेकाश्त की भूमि से बेखल करने या उक्त वादग्रस्त आराजी को बैचान करने का प्रयास किया हो। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण पोषणीय प्रतित नहीं होने तथा सारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार योग्य होने से एतदद्वारा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करे।

(प्रमोदकुमार)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.28 15:58:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner